न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 19/2023 राजस्व वाद

01. श्री मोहनलाल पुत्र श्री गिरधारी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी— गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

02. पप्पुलाल पुत्र नाथु जाति रेगर आयु वयस्क निवासी— गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

03. देवीलाल पुत्र नाथु जाति रेगर आयु वयस्क निवासी— गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

04. रतनलाल पुत्र गिरधारी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी— गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

वादीगण—

बनाम

01. भंवर लाल पुत्र चुना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

02. कोयली पुत्री चुना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

03. जेती पुत्री चुना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

04. गंगा पुत्री चुना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

05. मदनी पत्नि चुना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

06. रेखा पुत्री चुना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

07. सुरेशचन्द्र पुत्र मगना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

08. कंचन पुत्री मगना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश सिंह तंवर, —अधिवक्ता वादीगण
2. एकपक्षीय— प्रतिवादीगण

::निर्णय::

दिनांक 23.12.2024

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 08 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेपित दिनांक 06.01.2024 से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 09 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता ने बहस करने का निवेदन किया, बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

::आदेश::

सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 1989 मे आराजी नम्बर 9089/4685 मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(01) खातेदार का नाम– मोहनलाल पुत्र श्री गिरधारी रेगर हिस्सा 3/8, रतनलाल पुत्र गिरधारी रेगर 5/8 हिस्सा सा0 गोरधनपुरा के नाम पर–

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01	9089/4685/3	0.2783 हैक्टयर
योग	कुल किता 01	0.2783 हैक्टयर

(02) खातेदार का नाम– पप्पु लाल पुत्र नाथु रेगर हिस्सा 3/8, देवीलाल पुत्र नाथु रेगर हिस्सा 5/8, सा0 गोरधनपुरा के नाम पर–

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	9089/4685/2	0.2782 हैक्टयर
योग	कुल किता 01	0.2782 हैक्टयर

(3) खातेदार का नाम– कंचन पुत्री मगना खटीक हिस्सा 1/20, गंगा पुत्री मगना खटीक हिस्सा 1/20, रेखा पुत्री मगना खटीक हिस्सा 1/20 , सुरेशचन्द्र पुत्र मगना खटीक हिस्सा 1/20 मदनी पत्नि स्व. मगना खटीक हिस्सा 1/20 कोयली पुत्री चुना खटीक हिस्सा 1/4 जेती पुत्री चुना खटीक हिस्सा 1/4 भंवर लाल पुत्र चुना खटीक हिस्सा 1/4 सा0 करेडा के नाम पर–

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	8909/4685/1	0.1391 हेक्टयर
योग	कुल किता 01	0.1391 हेक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योतेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 19/2023 राजस्व वाद

01. श्री मोहनलाल पुत्र श्री गिरधारी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
02. पप्पुलाल पुत्र नाथु जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
03. देवीलाल पुत्र नाथु जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
04. रतनलाल पुत्र गिरधारी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी– गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

वादीगण–

<u>बनाम</u>

01. भंवर लाल पुत्र चुना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
02. कोयली पुत्री चुना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
03. जेती पुत्री चुना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
04. गंगा पुत्री चुना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
05. मदनी पत्नि चुना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
06. रेखा पुत्री चुना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
07. सुरेशचन्द्र पुत्र मगना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
08. कंचन पुत्री मगना खटीक उम्र वयस्क निवासी करेडा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 तरेपन रा॰टि॰ए॰</u>
<u>वाद बाबत् विभाजन आराजियात</u>

वादी की ओर से श्री मुकेश सिह तंवर, एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 09 की अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 23.12.2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि **शून्य** को दी जायें।

सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 1989 मे आराजी नम्बर 9089/4685 मे वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

उपखण्ड अधिकारी एवं
कलस्टर करेड़ा

श्रीमान् सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) साहब,

(01) खातेदार का नाम– मोहनलाल पुत्र श्री गिरधारी रेगर हिस्सा 3/8, रतनलाल पुत्र गिरधारी रेगर 5/8 हिस्सा सा0 गोरधनपुरा के नाम पर–

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकवा (हैक्टयर मे)
01	9089/4685/3	0.2783 हैक्टयर
योग	कुल किता 01	0.2783 हैक्टयर

(02) खातेदार का नाम– पप्पु लाल पुत्र नाथु रेगर हिस्सा 3/8, देवीलाल पुत्र नाथु रेगर हिस्सा 5/8, सा0 गोरधनपुरा के नाम पर–

क.सं.	आराजी नम्बर	रकवा (हैक्टयर मे)
01.	9089/4685/2	0.2782 हैक्टयर
योग	कुल किता 01	0.2782 हैक्टयर

(3) खातेदार का नाम– कंचन पुत्री मगना खटीक हिस्सा 1/20, गंगा पुत्री मगना खटीक हिस्सा 1/20, रेखा पुत्री मगना खटीक हिस्सा 1/20 , सुरेशचन्द्र पुत्र मगना खटीक हिस्सा 1/20 मदनी पत्नि स्व. मगना खटीक हिस्सा 1/20 कोयली पुत्री चुना खटीक हिस्सा 1/4 जेती पुत्री चुना खटीक हिस्सा 1/4 भंवर लाल पुत्र चुना खटीक हिस्सा 1/4 सा0 करेडा के नाम पर–

क.सं.	आराजी नम्बर	रकवा (हैक्टयर मे)
1	8909/4685/1	0.1391 हेक्टयर
योग	कुल किता 01	0.1391 हेक्टयर

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)